

Received by hand on
08/08/17 91 01:10 PM

सेवा मे,

दिनांक : 08.08.2017

माननीय जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, एम0एस0ओ0 विट्ठिंग,
आई0पी0 स्टेट, नई दिल्ली - 110002

9630
अधीकृत... पुनः सेवा
08/08/17

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

माध्यम,

निवेदन है कि आरेडक निम्नलिखित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जो
इस प्रकार है :-

(क) जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को आपराधिक अभियोग के आरोप में विभागीय जांच के
उपरांत, विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था और ऐसे पुलिस
कर्मियों/अधिकारियों जिन्हें आपराधिक अभियोग के आरोप में विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त
किया गये थे, अदालत द्वारा बरी किये जा चुके हैं, के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दी
जाए:-

1. यह है कि ऐसे सभी दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों जिनको उनकी बर्खास्तगी की
तारीख से reinstate किया गया है, पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती,
बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख एवम् आपराधिक अभियोग की प्रकृति
सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।
2. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों, जिनको, उनकी बर्खास्तगी की
तारीख से reinstate नहीं किया गया है, पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती,
बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रकृति एवम्
बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने का कारण व इसके सम्बन्ध में
नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।
3. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारियों जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख
से reinstate नहीं किया गया है लेकिन पुनः सेवा में ले लिया गया है। पद, नाम,
पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, पुनः सेवा में लेने की तारीख,
आपराधिक अभियोग की प्रकृति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये
जाने तथा पुनः सेवा में लिए जाने का कारण व इसके सम्बन्ध में नियम/अधिनियम
सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यह है कि जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोग अदालत में
शिथिल है और ऐसे पुलिस कर्मियों/अधिकारियों विभाग में सेवारत हैं। पद, नाम,
पी0आई0एस0 न0., तैनाती, आपराधिक अभियोग की तारीख एवम् धारा/प्रकृति तथा
सेवारत रहने का कारण व इसके सम्बन्ध में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की
प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ग) यह है कि विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का
सत्यापन/ऑन चिकित्साक द्वारा कराया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उपचार कराया था।
यदि इस सम्बन्ध में विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी
किया है तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(घ) यह है कि विभाग में अग्रिमस्त कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा
बिलों का सत्यापन/ऑन विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उपचार
कराया था। यदि इस सम्बन्ध में विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी
नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है, तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध
कराई जायें।

(बिबरनर अधिेन पृष्ठ पर)

(विरन्तर प्रथम पृष्ठ से)

- (ग) यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में जारी सूचना vide office memo no. -No./24/Spl/ID-4063/2012/31909/PIO Cell/PHQ/dated 10/09/2017 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।
- (घ) यह है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम (दण्ड एवम् अपील) की धारा 11 एवं 12 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।
- (ङ) यह है कि दिल्ली पुलिस विभाग में तैनात सिपाही द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिवारियों द्वारा प्रातिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिल फर्जी होने के संदेह पर उपायुक्त पुलिस अधिकारी नियमानुसार किस नोटिफिकेशन/आर्डर/धारा अथवा अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक पट-पीजी रूल के अधिकारी द्वारा अस्पताल (जिसमें पुलिस कर्मी अथवा आश्रित के उपचार कराया था) सत्यापन/ऑन करा सकता है। इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।
- (च) 1. यह है कि उपरोक्त सिपाही द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल फर्जी होने के संदेह पर उपायुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा निरीक्षक-पीजी रूल को दी गई कॉच में अस्पताल (जिसमें पुलिस कर्मी अथवा आश्रित के उपचार कराया था) द्वारा सत्यापन रिपोर्ट में उपरोक्त सिपाही द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल, अस्पताल के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाये (फर्जी पाए जाये) पर, उपायुक्त पुलिस अथवा उक्त अधिकारी की लिखित अनुमति/आदेश के बगैर, जांच अधिकारी-निरीक्षक-पीजी रूल सीधा पुलिस थाना जाकर स्वयं लिखित शिकायत देकर नियमानुसार उपरोक्त सिपाही के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज करा सकता है। यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।
2. यदि नहीं, तो फिर अधिकारी को ऐसी दशा में नियमानुसार उपरोक्त सिपाही के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

अतः श्रीमान् जी से सानुगोच प्रार्थना है कि उपरोक्त सूचना की प्रमाणित प्रति रागव पर उपलब्ध कराने तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने की कृपा करें। नियमानुसार शुल्क अदा किया जायेगा।

धन्यवाद।

आवेदक



डा०. राम किशोर त्यागी
517/डी, गली न०. 5,
विजय पार्क, दिल्ली - 53
मो० न० - 9968161721

नोट- 10/- रुपये का मा०पो०आ० न०. 37 एक 982366 साथ संलग्न है।